प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक : 1111 /पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/दिनांक 19/09/2025।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/10931/2015)।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र), 25–सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/84/2018/FC/1022/दिनांक 21–10–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगतनीय है कि चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग पर प्राप्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0–89/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/दिनांक 29–04–2022 के द्वारा प्रेषित की गई जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 23–09–2022 को अपलोड की गई। प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है जिनकी अनुपालन आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	State Government is requested to submit the CA scheme of Rs. 17,90,141/-based on which the amount has been deposited in CAMPA.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौडी गढ़वाल से सम्बन्धित है।
2	State Government is requested to submit the Khatauni.	खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
3	State Government is requested to upload the complete compliance at para 21 in part II of the proposal.	Compliance Report पोर्टल पर अपलोड कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4	It was observed that there is some deviation from the approved alignment. The Site Inspection Report of the concerned DFO is required to be submitted in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौडी गढ़वाल से मार्ग पर हुऐ deviation के सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पुनः विचार करने हेतु आग्रह किया गया है कि **चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/ 10931/2015** को भारत सरकार से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त है (सैद्वान्तिक स्वीकृति संलग्न–1), जिसके पश्चात कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0–सिं0ख0, श्रीनगर द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकताओं एवं विभागीय प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए मार्ग के स्वीकृति समरेखण पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना वनविभाग को देते हुए वन विभाग के कर्मियों द्वारा समय–समय पर मोटर मार्ग पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता रहा है एवं मार्ग स्वीकृत समरेखण पर होने की पुष्टि भी स्थल पर उपस्थित होकर दी गयी।

क्रमशः ...2..

मार्ग की लम्बाई 14.275 कि0मी0 स्वीकृत थी तथा मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष दिसम्बर 2018–19 को प्रारम्भ किया गया, जिसमें कार्यदायी संस्था के अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य से वनविभाग की देख रेख, निर्देशों एवं पूर्ण सहयोग से सही निर्धारित समरेखण अनुसार ही किया जाता रहा है, दिये गये निर्देशों के अनुसार मार्ग निंमाण का कार्य माह जून 2020 को पूर्ण करा लिया गया था।

महोदय अवगत कराना है कि **मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में होने पर दिनांक 24.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान स्थल से कही भी आने–जाने के लिये अनुमति नहीं थी एवं यातायात प्रतिबंधित हो गया था,** यातायात प्रतिबंधित होने से निर्माण स्थल पर उपस्थित ठेकेदार की अकुशल श्रमिक एवं ऑपरेटर कार्यस्थल पर ही रह गये तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव की सीमा के भीतर, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबन्ध का उल्लघन करने से स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीणों द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाने लगी, **जिसके फलस्वरूप किसी बाहरी व्यक्ति (ना ही कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को एवं ना ही वन विभाग के कर्मचारियों को) गांव के क्षेत्र की सीमा के भीतर आने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी।**

दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 20.05.2020 कोविड काल की मध्य अवधि में निर्माण कार्य हेतु क्षेत्र में मात्र उपलब्ध लेबर, ऑपरेटरों को निर्माण कार्य कर रहे थे । पूर्व में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सही समरेखण में हो रहा था कोविड अवधि में ग्रामवासियों द्वारा ऑपरेटर को अपनें हित में कराकर मार्ग का निर्माण कार्य अपने निजी भूमि को बचाते हुए करने हेतु दबाव बनाया गया तथा ऑपरेटर को समरेखण का ज्ञान न होने के कारण एवं आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा का सीमांकन न होने के कारण पहाड़ कटान का कार्य किया गया, चूंकि **वन विभाग द्वारा रिर्जव फॉरेस्ट की सीमा का स्पष्ट सीमांकन/Demarkation उपलब्ध ना होने से वन विभाग की रिर्जव वन भूमि का पता करना ऑपरेटर द्वारा सम्भव नहीं था,**एवं ग्रामीणों के दबाव से आपॅरेटर द्वारा आरक्षित भूमि में **बिना किसी वृक्षों को प्रभावित करते हुये त्रुटिवश निर्माण कार्य 7.00 मी0 चौड़ाई में कर दिया गया,** जिसका संज्ञान वन विभाग द्वारा तीन वर्षो के उपरान्त दिनांक 02.04.2024 लेते हुए कार्यदायी संस्था को सूचित किया गया।

क्रमशः ...3..

महोदय उक्त प्रभावित क्षेत्र में आरक्षित वन की सीमा का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध ना होना एवं वन विभाग के कर्मचारी द्वारा नियमित रुप से कोविड काल वर्ष, 2020 में सीमाकंन का अवलोकन न कर पाने से ठेकेदार के ऑपरेटर द्वारा ग्रामीणों के दबाव कोविड काल अवधि–2020 में उक्त कार्य किया गया, जो कि एक मानवीय भूल की घटना, ज्ञान का अभाव एवं ग्रामीणों के दबाव के कारण घटित हुआ है।

महोदय आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा का सीमांकन एवं कोविड काल में विभागीय कर्मचारी/अधिकारी उपलब्धता सम्भव ना होने के कारण ग्रामीणों द्वारा कार्यस्थल में कार्यरत ऑपरेटर से उक्त कार्य को करवाया गया, जिसकी जांचोपरान्त वन विभाग द्वारा दिनांक 02–04–2024 को प्राथमिकी दर्ज कर ठेकेदार एवं कनिष्ठ अभिंयता को दी गई तथा कार्यदायी संस्था को वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल के पत्रांक–652/12–1, दिनांक 05.05.2025 को कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–दे0दून के माध्यम से प्राप्त हुआ। तदनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को उक्त कृत्य करने पर पत्र लिखा गया।

यह भी सूचनीय है कि ग्रामीणों द्वारा आपरेटर को मार्ग निर्मित को ही पूर्व में उनकी सहमति से हुऐ सर्वे को निर्मित भूमि से समरेखण हेतु आस्वस्थ किसा गया । कोविड काल में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का कार्यस्थ्ल पर उपस्थित न होने के कारण आरक्षित वनभूति में 403 मी में मार्ग निर्माण की सूचना दिनांक 13/01/2024 को प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक सं0 2307/12–1 दिनांक पौड़ी माह जनवरी 06, 2024 से प्राप्त हुई संलग्न इससे पूर्व वन विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि में मार्ग निर्माण से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गई है ।

महोदय उकत प्रकरण पर ग्रामीणों के दबाव में आकर ऑपरेटर द्वारा कोविड काल में आरक्षित वन पर मार्ग निर्माण की सूचना अनुसार लगभग 403 मी0 रिर्जव फोरेस्ट में मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है, जिसमें अवगत कराना है कि मार्ग की वर्तमान स्थिति अनुसार सड़क का आरक्षित वनभूमि में निर्माण लगभग 7.00 मी0 चौड़ाई में हुआ है, जिसका **कुल प्रभावित क्षेत्रफल 0.2821 है0, जो स्वीकृति वन भूमि क्षेत्रफल 2.92 है0 के अन्तर्गत ही है। यथा स्वीकृत वन भूमि के क्षेत्रफल में लगभग 0.0856 है0 भूमि कम प्रभावित हुई है तथा वृक्षों का शून्य पातन हुआ है ।**

क्रमशः ...4..

	जिसके कम में कार्यदायी संस्था का विभ्रम निवेदन के साथ अपना पक्ष सभी तत्वों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आपसे अनुरोध है कि **कोविड काल की वास्तविक कारणों एवं वन विभाग की सीमा का सीमांकन उपलब्ध ना होने तथा ग्रामीणों के दबाव के कारणों का संज्ञान लेते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा हैं।**

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/तदिंनाक

1. प्रतिलिपि अपर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, मालसी रेन्ज देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1286 / 12 देहरादून दिनांक, 05 अप्रैल 2024

डायरी सं0 499
दिनांक 22/4/24
श्रीनगर गढ़वाल

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई.
श्रीनगर गढवाल।

विषयः— जनपद पौड़ी गढवाल में पी.एम.जी.एस.वाई के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटरमार्ग के निर्माण हेतु सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पत्र सं0—08वी / यू0सी0पी0 / 06 / 84 / 2018 / एफ0सी0 / 296, दिनांक 10.05.2019 से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात मोटर मार्ग का निर्माण कार्य आपके विभाग द्वारा कराया गया है। जिसमें पूर्व समरेखण से बाहर आरक्षित वन क्षेत्र अगस्वाड़ा कक्ष सं0—12 में 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध मोटर मार्ग निर्माण कार्य हुआ है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से आपत्ति पत्र सं0—08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 84 / 2018 / एफ0सी0 / 1022, दिनांक 21.10.2022 प्राप्त हुई है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि कृपया विषयगत मोटर मार्ग निर्माण से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें, साथ ही विषयगत मोटरमार्ग निर्माण से सम्बन्धित मापन पंजिका (एम0बी0) एवं ठेकेदार को जारी कार्यादेश की प्रति, जिसमें मोटर मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ करने व समाप्ति की तिथि अंकित हो कि छायाप्रति भी प्रमाणित कर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

A.E.IV / Amin
EE
Dh. Ashish Shah / AAE

भवदीय

Shuchi
(शुचि चौहान)
वन क्षेत्राधिकारी
मालसी रेंज
देहरादून वन प्रभाग

प्रधानमंत्रीग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

पंजीकृत

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक 415 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0 श्रीनगर–1/पी0ए0 दिनांक 27/04/2024

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
मालसी रेंज,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

विषयः– जनपद पौडी गढवाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हु सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय पत्रांक 1286/12 देहरादून, दिनांक 05.04.2024

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से जनपद पौडी गढवाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की तिथि एवं सम्बन्धित मोटर मार्ग से सम्बन्धित सूचनाओ की वांछना की गई है।

उपरोक्त के क्रम में इस खण्ड के अन्तर्गत पी0एम0जी0एस0वाई0 की चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के प्रथम चरण से सम्बन्धित अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि 03.12.2018 एवं कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 01.06.2020 है। चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के प्रथम चरण से सम्बन्धित अनुबन्धकी सत्यापित छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– प्रथम चरण के अनुबन्ध की सत्यापित छायाप्रति 02 नं0।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

o/c

desktop/sandip/pa ltr

कार्यालय

वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज दमदेवल।

पत्रांक- /MC /12-1 दिनांक- 12/02/2023

सेवा में

उप वन संरक्षक

गढ़वाल वन प्रभाग,

पौड़ी।

विषय- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोडी से कुल्यागी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.02 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 2683/12-1 दिनांक 20-01-2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.02.2023 को संबंधित अनुभाग अधिकारी तथा प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना सिंचाई खण्ड के कर्मचारी के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण करने पर पाया गया कि ग्रामीणों के विरोध के कारण मोटर मार्ग के समरेखण में परिवर्तन किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं हुए हैं। समरेखण परिवर्तन में लगभग 3.5 किमी0 सिविल क्षेत्र तथा लगभग 170 मी0 रिजर्व वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। रिजर्व वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वृक्ष प्रभावित नहीं हुए हैं।

अतः सूचना सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीया

Shuchi

वन क्षेत्राधिकारी

पश्चिमी अमेली रेंज

दमदेवल।

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर-गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक : 89 /पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०/श्रीनगर/वनभूमि दिनांक: 29/04/2022।

सेवा में,

अपर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- **जनपद- पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), 25-सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/84/2018/एफ०सी०/296 दिनांक 10/05/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त सैदान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं	अधिरोपित शर्त	सैदान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.84 है० ग्राम- फलद्वाडी, सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक संख्या-3466/26-प्रशा०-अधि०(सा०प्रशा०/2014.15)/दिनांक पौडी 26—06—2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है **संलग्नक :-** 01 प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। **संलग्नक :-** 02(a)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5—3/2007-एफ०सी० दिनांक 05—02—2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल द्वारा प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार प्रयौक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गई है। **संलग्नक :-** 02(b)
3	राज्य सरकार वृक्षों की गणना की सूची जो ऑनलाईन पार्ट-II में 178 वृक्षों के लिए अपलोड की गयी है वही सूची हार्ड कॉपी में भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाले 178 वृक्षों की सूची हार्ड कापी में संलग्न प्रेषित है। **संलग्नक :-** 03

क्रमशः -2-

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 04
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित अहनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA cost, NPV etc. को बैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाईन बैंक में जमा की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं हैं। संलग्नक :- 02(a)
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 05

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तें

7	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 06
8	एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.84 है० ग्रम- फलद्वाडी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 4927 के अर्न्तगत आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रभाग पत्र संलग्न है । संलग्नक :- 07
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 08
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एंव Back Bearing अंकित किया जायेगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 09
11	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टहफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 10
12	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 11
13	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दशाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना **Transfer** नहीं किया जाएगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 12

क्रमशः -3-

14	कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 178 से अधिक न हो।	वचनबद्धता संलग्न है। **संलग्नक :-** 13
15	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।	वचनबद्धता संलग्न है। **संलग्नक :-** 14
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	वचनबद्धता संलग्न है। **संलग्नक :-** 15
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वचनबद्धता संलग्न है। **संलग्नक :-** 16
18	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनबद्धता संलग्न है। **संलग्नक :-** 17

(वीरेन्द्र दत्त जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर-1 गढ़वाल।

पत्रांक : 89 /पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०/श्रीनगर/वनभूमि/तदिंनाक

1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन विभाग, पौडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र दत्त जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर-1 गढ़वाल।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक : 1111 /पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/दिनांक 19/09/2025।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल।

विषय :– **जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन (Online No. FP/UK/ROAD/10931/2015)।**

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र), 25–सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/84/2018/FC/1022/दिनांक 21–10–2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगतनीय है कि चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग पर प्राप्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक सं0–89/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/दिनांक 29–04–2022 के द्वारा प्रेषित की गई जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 23–09–2022 को अपलोड की गई। प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई है जिनकी अनुपालन आख्या आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र0 सं0	आपत्तियां	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	State Government is requested to submit the CA scheme of Rs. 17,90,141/-based on which the amount has been deposited in CAMPA.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौडी गढ़वाल से सम्बन्धित है।
2	State Government is requested to submit the Khatauni.	खतौनी की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न है।
3	State Government is requested to upload the complete compliance at para 21 in part II of the proposal.	Compliance Report पोर्टल पर अपलोड कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4	It was observed that there is some deviation from the approved alignment. The Site Inspection Report of the concerned DFO is required to be submitted in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय पौडी गढ़वाल से मार्ग पर हुऐ deviation के सम्बन्ध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पुनः विचार करने हेतु आग्रह किया गया है कि **चपलोडी से कुल्याणी मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/ 10931/2015** को भारत सरकार से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त है (सैद्वान्तिक स्वीकृति संलग्न–1), जिसके पश्चात कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई0–सिं0ख0, श्रीनगर द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकताओं एवं विभागीय प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए मार्ग के स्वीकृति समरेखण पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया, जिसकी सूचना वनविभाग को देते हुए वन विभाग के कर्मियों द्वारा समय–समय पर मोटर मार्ग पर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता रहा है एवं मार्ग स्वीकृत समरेखण पर होने की पुष्टि भी स्थल पर उपस्थित होकर दी गयी।

क्रमशः ...2..

मार्ग की लम्बाई 14.275 कि0मी0 स्वीकृत थी तथा मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष दिसम्बर 2018–19 को प्रारम्भ किया गया, जिसमें कार्यदायी संस्था के अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य से वनविभाग की देख रेख, निर्देशों एवं पूर्ण सहयोग से सही निर्धारित समरेखण अनुसार ही किया जाता रहा है, दिये गये निर्देशों के अनुसार मार्ग निंमाण का कार्य माह जून 2020 को पूर्ण करा लिया गया था।

महोदय अवगत कराना है कि **मोटर मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति में होने पर दिनांक 24.03.2020 से सम्पूर्ण भारत में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने वर्तमान स्थल से कही भी आने–जाने के लिये अनुमति नहीं थी एवं यातायात प्रतिबंधित हो गया था,** यातायात प्रतिबंधित होने से निर्माण स्थल पर उपस्थित ठेकेदार की अकुशल श्रमिक एवं ऑपरेटर कार्यस्थल पर ही रह गये तथा सम्पूर्ण क्षेत्र के ग्रामीणों एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा गांव की सीमा के भीतर, बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था, प्रतिबन्ध का उल्लघन करने से स्थानीय प्रशासन एवं ग्रामीणों द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाने लगी, **जिसके फलस्वरूप किसी बाहरी व्यक्ति (ना ही कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों को एवं ना ही वन विभाग के कर्मचारियों को) गांव के क्षेत्र की सीमा के भीतर आने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी।**

दिनांक 24.03.2020 से दिनांक 20.05.2020 कोविड काल की मध्य अवधि में निर्माण कार्य हेतु क्षेत्र में मात्र उपलब्ध लेबर, ऑपरेटरों को निर्माण कार्य कर रहे थे । पूर्व में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सही समरेखण में हो रहा था कोविड अवधि में ग्रामवासियों द्वारा ऑपरेटर को अपनें हित में कराकर मार्ग का निर्माण कार्य अपने निजी भूमि को बचाते हुए करने हेतु दबाव बनाया गया तथा ऑपरेटर को समरेखण का ज्ञान न होने के कारण एवं आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा का सीमांकन न होने के कारण पहाड़ कटान का कार्य किया गया, चूंकि **वन विभाग द्वारा रिर्जव फॉरेस्ट की सीमा का स्पष्ट सीमांकन/Demarkation उपलब्ध ना होने से वन विभाग की रिर्जव वन भूमि का पता करना ऑपरेटर द्वारा सम्भव नहीं था,**एवं ग्रामीणों के दबाव से आपॅरेटर द्वारा आरक्षित भूमि में **बिना किसी वृक्षों को प्रभावित करते हुये त्रुटिवश निर्माण कार्य 7.00 मी0 चौड़ाई में कर दिया गया,** जिसका संज्ञान वन विभाग द्वारा तीन वर्षो के उपरान्त दिनांक 02.04.2024 लेते हुए कार्यदायी संस्था को सूचित किया गया।

क्रमशः ...3..

महोदय उक्त प्रभावित क्षेत्र में आरक्षित वन की सीमा का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध ना होना एवं वन विभाग के कर्मचारी द्वारा नियमित रुप से कोविड काल वर्ष, 2020 में सीमाकंन का अवलोकन न कर पाने से ठेकेदार के ऑपरेटर द्वारा ग्रामीणों के दबाव कोविड काल अवधि–2020 में उक्त कार्य किया गया, जो कि एक मानवीय भूल की घटना, ज्ञान का अभाव एवं ग्रामीणों के दबाव के कारण घटित हुआ है।

महोदय आरक्षित वन क्षेत्र की सीमा का सीमांकन एवं कोविड काल में विभागीय कर्मचारी/अधिकारी उपलब्धता सम्भव ना होने के कारण ग्रामीणों द्वारा कार्यस्थल में कार्यरत ऑपरेटर से उक्त कार्य को करवाया गया, जिसकी जांचोपरान्त वन विभाग द्वारा दिनांक 02–04–2024 को प्राथमिकी दर्ज कर ठेकेदार एवं कनिष्ठ अभिंयता को दी गई तथा कार्यदायी संस्था को वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल के पत्रांक–652/12–1, दिनांक 05.05.2025 को कनिष्ठ अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0–दे0दून के माध्यम से प्राप्त हुआ। तदनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार को उक्त कृत्य करने पर पत्र लिखा गया।

यह भी सूचनीय है कि ग्रामीणों द्वारा आपरेटर को मार्ग निर्मित को ही पूर्व में उनकी सहमति से हुऐ सर्वे को निर्मित भूमि से समरेखण हेतु आस्वस्थ किसा गया । कोविड काल में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी का कार्यस्थ्ल पर उपस्थित न होने के कारण आरक्षित वनभूति में 403 मी में मार्ग निर्माण की सूचना दिनांक 13/01/2024 को प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक सं0 2307/12–1 दिनांक पौड़ी माह जनवरी 06, 2024 से प्राप्त हुई संलग्न इससे पूर्व वन विभाग द्वारा आरक्षित वनभूमि में मार्ग निर्माण से सम्बन्धित कोई भी सूचना प्रेषित नहीं की गई है ।

महोदय उकत प्रकरण पर ग्रामीणों के दबाव में आकर ऑपरेटर द्वारा कोविड काल में आरक्षित वन पर मार्ग निर्माण की सूचना अनुसार लगभग 403 मी0 रिर्जव फोरेस्ट में मोटर मार्ग का निर्माण हुआ है, जिसमें अवगत कराना है कि मार्ग की वर्तमान स्थिति अनुसार सड़क का आरक्षित वनभूमि में निर्माण लगभग 7.00 मी0 चौड़ाई में हुआ है, जिसका **कुल प्रभावित क्षेत्रफल 0.2821 है0, जो स्वीकृति वन भूमि क्षेत्रफल 2.92 है0 के अन्तर्गत ही है। यथा स्वीकृत वन भूमि के क्षेत्रफल में लगभग 0.0856 है0 भूमि कम प्रभावित हुई है तथा वृक्षों का शून्य पातन हुआ है ।**

क्रमशः ...4..

	जिसके कम में कार्यदायी संस्था का विभ्रम निवेदन के साथ अपना पक्ष सभी तत्वों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें आपसे अनुरोध है कि **कोविड काल की वास्तविक कारणों एवं वन विभाग की सीमा का सीमांकन उपलब्ध ना होने तथा ग्रामीणों के दबाव के कारणों का संज्ञान लेते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा हेतु पुनः प्रेषित किया जा रहा हैं।**

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

पत्रांक /पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1/वनभूमि/तदिंनाक

1. प्रतिलिपि अपर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - **moef.ddn@gov.in**

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/84/2018/एफ0सी0/296 दिनांकः 10/05/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : **जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी की पत्र संख्या– 271/FP/UK/ROAD/10931/2015 दिनांक 26.07.2018**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/10931/2015 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर अतिरिक्त सूचनाये चाही गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2019 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – **जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.84 है0 ग्रम– फलद्वाड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. राज्य सरकार वृक्षो की गणना की सूची जो ऑलनाईन पार्ट–II में 178 वृक्षों के लिए अपलोड की गयी है वही सूची हार्ड कॉपी में भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

6. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनीहोगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.84 है0 ग्रम– फलद्वाड़ी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 178 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

10/8/19

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांकः / FP/UK/ROAD/10931/2015 दिनॉकःदेहरादून 26 जून, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी।

विषय– जनपद–पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग 2.92 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विकास को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/84/2018/ एफ0सी0 / 1022 दिनांक 21.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें है जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार द्वारा 04 बिन्दूओं पर सूचना / आख्या चाही गयी है। पत्र की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की भारत सरकार द्वारा चाही गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना / आख्या सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करे ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

संख्या–3007 / FP/UK/ROAD/10931/2015 / दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1.वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2.अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर–गढवाल ।

26/6/23
(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक नोड़ल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड़,देहरादून।

PA
06/07/2023

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी अमेली रेंज दमदेवल।

पत्रांक– 652 /12–1 दिनांक– 05/05/2025

सेवा में,

कनिष्ठ अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–1 गढवाल।

द्वारा– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, श्रीनगर–1 गढवाल।

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग का समरेखण के बाहर अगस्वाड़ा क.सं. 12 में (आरक्षित वन) में 403 मीटर मोटर मार्ग का अवैध रूप से निर्माण करना।

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है, कि वन संरक्षक गढवाल वृत उत्तराखण्ड पौड़ी एवं प्रभागीय वनाधिकारी गढवाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के मामले में अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावक विभाग द्वारा परिवर्तित संरेखण से 2.8 कि0मी0 सिविल क्षेत्र के अतिरिक्त 403 मीटर आरक्षित वन क्षेत्र (अगस्वाड़ा क.सं. 12) में भी मोटर मार्ग का निर्माण किया हुआ पाया गया है। उक्त कुल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2018 से 2020 तक हुआ था, एवं दिनांक 12.04.2020 से 20.05.2020 तक सरेखण के बाहर 403 मीटर आरक्षित वन क्षेत्र में मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। जिससे स्पष्ट होता है, कि विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है, जिसके उपरांत वर्तमान में तैनात वन आरक्षी श्री भूपेन्द्र सिंह वन आरक्षी धुलेत बीट से राजकीय ठेकेदार अनिल डोभाल, निवासी थाना मोहल्ला पौड़ी, पौड़ी गढवाल एवं आपके विरूद्ध भारतीय अधिनियम 1927 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत वन अपराध जारी किया गया है।

अतः आप उक्त विषयगत प्रकरण में पत्र जारी होने के 3 दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस पर श्रीमान उप वन संरक्षक, महोदय, गढवाल वन प्रभाग पौड़ी के समक्ष उपस्थित होने का कष्ट करें।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी अमेली रेंज
दमदेवल।

P.A
Ex Engg

प्रधानमंत्रीग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक: 543 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/पी0ए0, दिनांक: 16/05/2025

विषय:–

जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलौड़ी से धुल्याणी मोटर मार्ग का समरेखण के बाहर अगस्वाड़ा क.सं. 12 में (आरक्षित वन) में 403 मीटर मोटर मार्ग का अवैध रूप से निर्माण करना।

श्री आशीष शाह, अपर सहायक अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, श्रीनगर–1 गढ़वाल।

उपरोक्त विषय के क्रम में कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल के कार्यालय पत्रांक 652/12–1, दिनांक 05–05–2025 जो कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 16–05–2025 को प्राप्त हुई, की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुये कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार 01 नं0।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

पत्रांक: 543 /पी0एम0जी0एस0वाई0सिं0ख0श्री0–1/पी0ए0/तदिनांक।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, श्रीनगर–1 गढ़वाल को उपरोक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार 01 नं0।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 गढवाल।

desktop/sandip/pa ltr

भारत सरकार की सेवार्थ

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः– 2387 / 12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, जनवरी, 06 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,
श्रीनगर–1 (गढ़वाल)।

डायरी सं0 92
पंजिका सं0 ......
दिनांक 19/01/2024

विषय– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ– वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी की पत्र सं0 711/12–1, दिनॉक 14–09–2023

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में आप निम्न बिन्दुओं पर आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें:–

1– उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव के सिविल वन भूमि के अतिरिक्त 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र (अगस्वाड़ा) क0सं0 12) में निर्माण कार्य किस तिथि को प्रारम्भ हुआ व किस तिथि को कार्य समाप्त हुआ तथा उक्त निर्माण कार्य किस आदेश के उपरान्त किया गया है, के सम्बन्ध में इस कार्यालय को अवगत करायें।

2– उक्त मोटर मार्ग के 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने पर सम्बन्धित कार्यभारिक का नाम एवं पता इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

अतः आप उक्त बिन्दओं की सूचना पत्र प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे कि समयान्तर्गत उच्च स्तर को अवगत करया जा सके।

उक्त प्रकरण महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

PA
Ex Eng

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1349 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 6 जनवरी, 2024

डायरी सं० 91
पंजिका सं०
दिनांक 19/01/24

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग,
पौड़ी।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग 2.92 है0 भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/10931/2015)

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/84/2018/एफ0सी0/1022 दिनांक 21.10.2023 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या–3007 दिनांक 26.06.2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको लिखा गया था, किन्तु आतिथि तक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं करायी है, जिस कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हो रहा है।

अतः भारत सरकार के उपरोक्त पत्र की प्रति आपको पुनः संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा वांछित 04 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को लिखा जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या :–1349 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप वन महानिदेशक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर–गढ़वाल।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, देहरादून।